न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी – डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 90/2024

अनुवान रा. उ. मा. वि. मालकसर बनाम औंकारमल आदि

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालकसर जरिये प्राचार्य कृष्ण कुमार सारण पुत्र गोरधन राम निवासी मालकसर तहसील भानीपुरां जिला चूरू राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. औकारमल पुत्र हेतराम मेघवाल निवासी मालकसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भानीपुरा जिला चूरू।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत प्राप्त करने डिक्री घोषणात्मक, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा किश्तवार हस्ब दफा 88, 92ए रा.का. अधिनियम 1955 तथा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:

1. श्री गोपाल कृष्ण सिहाग विद्वान अधिवक्ता, वास्ते वादी।
2. श्री अजय कुमार सारण, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते प्रतिवादी सं. 01
3. तहसीलदार सरदारशहर वास्तं प्रतिवादी सं. 02

निर्णय दिनांक : 13/12/24

प्रकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मौजा मालकसर तहसील भानीपुरा में स्थित भूमि गत साबिका ख.नं. 393 तादादी 55.12 बीघा गै.मु. ग्रामवासियों द्वारा चराई आदि के सम्मिलित प्रयोजनों के लिये आरक्षित की गयी सामलात देह भूमि गौचर में से 08.00 बीघा भूमि श्रीमान जिला कलेक्टर, चूरू के आदेश क्रमांक प.12(2)(159)/राजस्व/97 दिनांक 14.05.1997 द्वारा वादी शिक्षण संस्था के खेल मैदान के लिये आवंटित की गयी। उपर्युक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार सरदारशहर द्वारा के कार्यालय आदेश भू.अ.क्र. LR(PT) 1222 दिनांक 24.05.1997 की अनुपालना में ग्राम पंचायत, मालकसर द्वारा नामांतरणकरण सं. 441 स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेखों में गत ख.नं. 393 में से 08.00 बीघा गै.मु. खेल मैदान माध्यमिक विद्यालय मालकसर के नाम अभिलेखित की गयी। वर्तमान में भी साबिका ख.नं. 393 तादादी 55.12 बीघा भूमि में से 08.00 बीघा भूमि वादी के नाम राजस्व अभिलेखो में खातेदारी में अभिलेखित है। साबिका ख.नं. 393 तादादी 55.12 बीघा भूमि में से वादी शिक्षण संस्था को आंवटित भूमि के ख.नं. 715/393 तादादी 08.00 बीघा कायम कर राजस्व अभिलेखो में खातेदारी दर्ज की गई। वादी [illegible] संस्था द्वारा विद्यालय के खेल मैदान हेतु भूमि की मांग किये जाने पर प्रतिवादी सं. 02 द्वारा [illegible] मालकसर में स्थित भूमि गत ख.नं. 393 तादादी 55.12 बीघा गै.मु. [illegible] में से 08.12 बीघा भूमि वादी शिक्षण संस्था को आवंटित किये जाने का प्रस्ताव मय ग्राम पंचायत, मालकसर की सहमति सहित जिला कलेक्टर [illegible] को

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

भिजवाया गया। उपर्युक्त प्रस्ताव के साथ भिजवाये गये नक्शा में प्रतिवादी सं. 02 द्वारा दावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में लाल रंग से प्रदर्शित भूमि वादी संस्था को आवंटित किये जाना का प्रस्ताव भिजवाया गया। लेकिन जिला कलेक्टर, चूरू ने आदेश क्रमांक प. 12(2)(159)/राजस्व/97 दिनांक 14.05.1997 से वादी संस्था को प्रतिवादी सं. 02 द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव से 01.12 बीघा क भूमि यानि 08.00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। वादी संस्था को आवंटित भूमि को नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" में पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। वादी संस्था को प्रतिवादी सं. 02 एवं उसके मातहत राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर माप करके नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" में पीले रंग से प्रदर्शित भूमि का मौके पर कब्जा संभलाया गया तथा इसी भूमि को वादी शिक्षण संस्था द्वारा विगत करीब 27 वर्षों से खेल मैदान की भूमि के रूप में उपयोग किया जा रहा है। नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" व "बी" दावा का अभिन्न भाग एवं अंशशुमार हैं। खेल मैदान की चतुर्दिक सीमाओं पर पुख्ता सीमा मौके पर कायम की हुई मौजूद हैं। वादी संस्था को नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" में पीले रंग से प्रदर्शित भूमि का माप करके मौके पर कब्जा संभला दिया लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामांतरणकरण सं. 441 की पुश्त पर तत्समय साबिका ख.नं. 393 तादादी 55.12 बीघा में से वादी शिक्षण संस्था को आवंटित भूमि ख.नं. 715/393 तादादी 08.00 बीघा की तरमीम करनी आज्ञापक होते हुए भी तरमीम नहीं की गयी। इसलिए नक्शा किश्तवार में वादी संस्था को आवंटन के लिए प्रस्तावित भूमि के साथ प्रेशित नक्शा के मुताबिक तरमीम नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में लाल रंग से प्रदर्शितानुसार संस्था को मौके पर संभलाने के मुताबिक तरमीम करवाने को वादी शिक्षण संस्था हर प्रकार से मुश्तहक है। नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" में पीले रंग से प्रदर्शित भूमि का आवंटन के बाद प्रतिवदी सं. 02 व उनके मातहत राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी संस्था को मौके पर माप करके ख.नं. 715/393 तादादी 08.00 बीघा का कब्जा सौपा गया तथा विगत 27 वर्षो से वादी संस्था का उपर्युक्त भूमि पर ऐलानिया शान्तिपूर्वक कब्जा उपयोग–उपभोग चला आ रहा है तथा चतुर्दिक सीमाओं पर दीवार बनी हुई है। खेल मैदान की भूमि को समतल करवाकर विभिन्न खेलो के मैदान बनाये हुए मौके पर मौजुद है। नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" में हरे रंग से प्रदर्शित भूमि गौचर भूमि तथा गुलाबी रंग से प्रदर्शित भूमि श्मशान भूमि है तथा केसरिया रंग से ग्राम मालसर से मालकसर जाने वाली सड़क व बैंगनी रंग से मालकसर से लुणासर जाने वाली सड़क को प्रदर्शित किया गया है। मौके पर वास्तविक स्थिति वर्तमान में भी नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" में प्रदर्शितानुसार वादी संस्था को भूमि आवंटन एवं कब्जा सौपने से यानि विगत 27 वर्शो से कायम चली आ रही है। इसलिये नक्शा किश्तवार में नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" में गुलाबी, हरा, पीला, केसरिया, बैंगनी रंगो से प्रदर्शितानुसार सही तरमीम करवायी जानी आवश्यक हैं। गत बंदोबस्त अवधि सन् 2011–12 में महकमा बंदोबस्त द्वारा नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" में ब–रंग हरा गौचर भूमि, ब–[illegible] वादी संस्था की भूमि, ब–रंग गुलाबी श्मशान भूमि, ब–रंग केसरिया सड़क मालसर से मालकसर तथा ब–रंग [illegible] सड़क मालकसर से लुणासर कायम करते हुए राजस्व अभिलेख [illegible] मुर्तिब किया [illegible] आज्ञापक होते हुए भी महकमा बन्दोबस्त ने मौके की वास्तविक स्थिति की अनदेखी करके तथा वादी शिक्षण संस्था के हितों पर कुठाराघात करते हुए महकमा बन्दोबस्त ने गत बन्दोबस्त में गलत नक्शा मुर्तिब कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42.09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर जिला–चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

जिसका महकमा बन्दोबस्त को कानूनन कोई हक अधिकार नहीं था, ना हो सकता है। महकमा बन्दोबस्त ने गत बन्दोबस्त के दौरान वादी संस्था की खातेदारी में अंकित खेल मैदान की भूमि ख.नं. 715/393 तादादी 08.00 बीघा से हाल ख.नं. 653, गौचर भूमि हाल ख.नं. 654, श्मशान भूमि हाल ख.नं. 655, सड़क मालसर से मालकसर हाल ख.नं. 656 तथा सड़क मालकसर से लुणासर हाल ख.नं. 650 कायम किये गये। वादी संस्था की खातेदारी में अंकित खेल मैदान हाल ख.नं. 653 तादादी 02.0200 हैक्टे. रकबा सही दर्ज किया गया। लेकिन नक्शा गलत मुर्तिब कर दिया गया। महकमा बन्दोबस्त द्वारा गलत बनाये गये नक्शा की आड़ में सड़क मालकसर से लुणासर ख.नं. 650 व वादी संस्था की खातेदारी में अंकित भूमि हाल ख.नं. 653 के मध्य गौचर भूमि ख.नं. 654 की भूमि गलत रूप से महकमा बन्दोबस्त द्वारा छोड़ देने से प्रतिवादी सं. 01 के मन में लालच आ जाने से प्रतिवादी सं. 01 नजरी नक्शा एनेक्श्चर "सी" में आसमानी रंग से प्रदर्शित भूमि पर अपराधिक अतिचार कर नाजायज कब्जा करने की फिराक में है तथा वादी शिक्षण संस्था में ग्रीष्मा अवकाश होने का फायदा उठाकर कब्जा करने पर उतारू हो चुका है। वादी शिक्षण संस्था को गत ख.नं. 715/393 तादादी 08.00 बीघा भूमि खेल मैदान के लिए आवंटित की गई तथा मौके पर कब्जा नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में लाल रंग से प्रदर्शितानुसार भूमि का मौके पर कब्जा प्रतिवादी सं. 02 के मातहत कर्मचारियों द्वारा मौके पर सम्भलाया गया। इसी भूमि को आरम्भ में वादी संस्था को खेल मैदान के लिए आवंटित किये जाने के लिए प्रतिवादी सं. 02 द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा में दर्शाया जाने के साथ ही ग्राम पंचायत मालकसर द्वारा प्रतिवादी सं. 02 के उपर्युक्त प्रस्ताव के मुताबिक वादी शिक्षण संस्था को खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन की सहमति दी गई। आवंटन पश्चात् इसी भूमि का मौके पर कब्जा वादी संस्था को सम्भलाया गया। वादी संस्था विगत 27 वर्षो से नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में लाल रंग से प्रदर्शित भूमि को खेल मैदान के लिए उपयोग–उपभोग में ले रही है तथा इस भूमि की चतुर्दिक सीमाओ पर दीवार बनाई हुई मौके पर मौजुद है। महकमा बन्दोबस्त को राजस्व रिकॉर्ड को दोहराने के सिवाये बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश या किसी पंजीकृत विलेख के बिना पूर्ववर्ति राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा में तब्दीली करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं होते हुए भी गत बन्दोबस्त में वादी संस्था की खातेदारी भूमि के हाल ख.नं. 653 तादादी 02.0200 हैक्टे. सही कायम किये गये। लेकिन वादी शिक्षण संस्था की खातेदारी में अंकित भूमि का नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में लाल रंग से प्रदर्शितानुसार मौके की स्थिति व रिकॉर्ड के मुताबिक मुर्तिब नहीं करके नजरी नक्शा एनेक्श्चर "सी" में प्रदर्शितानुसार गलत नक्शा बना दिया जाने से मौके पर वास्तविकता के विपरित एवं आवंटन से अलग नक्शा बना देने से मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाने से वाद कारण दिनांक 20.05.2024 उत्पन्न होने पर नक्शा में आवंटन व मौका स्थिति के मुताबिक अधिकारो की घोषणा करवाकर नक्शा किश्तवार में दुरूस्ती करवाने के लिए घोषणा [illegible] र्ड व नक्शा में दुरूस्ती के लिए वाद पेश किया गया।

प्रतिवादी सं. 01 पर विधिवत [illegible] होने के बाद [illegible] जरिये अधिवक्ता उपसंजात होकर जबाब प्रस्तुत नहीं करके वादी का वाद डिक्री किये जा[illegible] आपत्ति नहीं होना फर्द अहकाम पर अंकित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर जिला-चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी सं. 02 ने जबाब दावा मय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करके कथन किया कि नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में लाल रंग से प्रदर्शित भूमि वादी शिक्षण संस्था की खातेदारी एवं मौके पर कायम खेल मैदान होने से स्वीकार करते हुए नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में प्रदर्शित भूमि के मुताबिक दुरूस्ती करने की डिक्री पारित करने में कोई आपति नहीं होना कथन किया। प्रतिवादी सं. 02 ने आदेश क्रमांकः भूअ/2024/5668 दिनांक 05.08.2024 को पारित कर हल्का भू–अभिलेख निरक्षक एवं हल्का पटवारी को मौका की वास्तविक स्थिति की जांच कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को आदेशित किया गया। आदेश दिनांक 05.08.2024 की पालना में हल्का भू–अभिलेख निरक्षक व हल्का पटवारी ने वादगत स्थल के मौके पर पंहुचकर सरपंच ग्राम पंचायत मालकसर तथा गांव के मौजिज व्यक्तियों की मौजुदगी में मौका पर्चा तैयार करके दिनांक 06.08.2024 को प्रतिवादी सं. 02 के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपर्युक्त मौका पर्चा के मुताबिक भी ग्राम मालकसर में रा.उ.मा.विद्यालय मालकसर को आंवटित भूमि ख.नं. 715/393 हाल ख.नं. 653 की भूमि वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" के मुताबिक ही मौके पर कायम होने से वाद शिक्षण संस्था का मौके पर कब्जा होने से वादी शिक्षण संस्था के हक में दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया तथा वादी के दावा को डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई। यानि प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 द्वारा वादी के वाद का कोई खण्डन नहीं किये जाने से कोई विवाद्यक विरचित नहीं किये गये।

अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादी द्वारा संस्थित वाद में के तथ्यों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा वादी के वाद का किसी भी रूप में खण्डन नहीं किया गया है तथा वादी संस्था द्वारा संस्थित वाद की स्वीकारोक्ति की गई है। इसलिए वादी का वाद प्रतिवादीगण की स्वीकारोक्तियों के आधार पर निर्णय किया जाना न्याय संगत है।

अधिवक्ता वादी ने बहस करते हुए कथन किया कि आदेश 12 नियम 06 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के मुताबिक प्रतिवादीगण की वादी के वाद की स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णित कर डिक्री फरमाया जावे। वादी के वाद को डिक्री किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं होने दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 एवं प्रतिवादी सं. 02 की ओर से उपस्थित पैरोकार राज ने अधिवक्ता वादी की बहस का खण्डन नहीं किया तथा वादी का वाद डिक्री करने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नांकित न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत कियेः–

1. 2012 (2) DNJ (SC) – 834
2. 2006 (2) DNJ (Raj.) – 803
3. 2005 (1) DNJ (SC) – 304
4. 2000-01 (Suppl.) (SC) - 128

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:09 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादी द्वारा की गई मौखिक बहस, वादी के वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य तथा प्रतिवादी सं. 02 द्वारा प्रस्तुत जबाब का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयों से मार्गदर्शन प्राप्त किया तथा विधि का अवलोकन किया। वादी के वाद को स्वीकारोक्ति के आधार पर वादी के पक्ष में निर्णित किये जाने में कोई विधिक बाधा

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

भी नहीं है। वादी द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी", खेल मैदान के आवंटन के लिए प्रस्तावित नक्शा तथा प्रतिवादी सं. 02 द्वारा अपने जबाब के साथ प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से मिलान कर देखने से स्पष्ट प्रकट होता है कि संस्था को आवंटित भूमि का कब्जा नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" के मुताबिक ही सौंपा गया तथा नजरी नकशा एनेक्श्चर "बी" के मुताबिक प्रतिवादी सं. 02 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से मौके पर कब्जा वादी संस्था का होना प्रमाणित होता है। इसलिए वादी संस्था का वाद स्वीकारोक्ति के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वाद वादी डिक्री किया जाकर तहसील क्षेत्र भानीपुरा की रोही मौजा मालकसर में स्थित कृषि भूमि हाल ख.नं. 653 तादादी 02.0200 हैक्टे. भूमि के राजस्व नक्शा में वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" में पीले रंग से प्रदर्शितानुसार नक्शा दुरूस्त कर वादी की खातेदारी का कायम किया जावे तथा वाद के साथ नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" में हाल ख.नं. 654 बरंग हरा गौचर भूमि, ख.नं. 655 बरंग गुलाबी श्मशान भूमि, ख.न. 656 व 657 बरंग केसरिया मालसर से मालकसर सड़क व ख.नं. 650 बरंग बैंगनी सड़क मालकसर से लुणासर राजस्व नक्शा में दर्ज की जावे। नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" डिक्री का भाग रहेगा। प्रतिवादी सं. 02 तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि नक्शा किश्तवार में तदनुसार रिकॉर्ड दुरूस्त करें।

(डॉ. दिव्या) RAS
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 13/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिव्या) RAS
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सरदारशहर व बइजलास डॉ. दिव्या RAS

राजस्व वाद संख्या 90/2024

अनुवान रा. उ. मा. वि. मालकसर बनाम ओंकारमल आदि

अन्तर्गत धारा 88, 92ए आर. टी. एक्ट 1955 एवं 136 एल आर एक्ट 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोपाल कृष्ण सिहाग एडवोकेट मिनजानिब मुदई व श्री अजय कुमार सारण, पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वाद वादी डिक्री किया जाकर तहसील क्षेत्र भानीपुरा की रोही मौजा मालकसर में स्थित कृषि भूमि हाल ख.नं. 653 तादादी 02.0200 हैक्टे. भूमि के राजस्व नक्शा में वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" में पीले रंग से प्रदर्शितानुसार नक्शा दुरूस्त कर वादी की खातेदारी का कायम किया जावे तथा वाद के साथ नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" में हाल ख. नं. 654 बरंग हरा गौचर भूमि, ख. नं. 655 बरंग गुलाबी श्मशान भूमि, ख. न. 656 व 657 बरंग केसरिया मालसर से मालकसर सड़क व ख. नं. 650 बरंग बैंगनी सड़क मालकसर से लुणासर राजस्व नक्शा में दर्ज की जावे। नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" डिक्री का भाग रहेगा। प्रतिवादी सं. 02 तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि नक्शा किश्तवार में तदनुसार रिकॉर्ड दुरूस्त करें।

....

....बीज .... मुबलिग ..

....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....

.... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....

.... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर (चूरू)

डॉ. दिव्या (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर(चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक	00	00
मुतफर्रिक	02	00			
मिजान	05	00	मिजान	01	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner